

Regarding scarcity of water in Jalore and Sirohi districts in Rajasthan

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर): मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र जालौर और सिरोही, दोनों जिले डार्क जोन घोषित हैं। यहां पर पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितम्बर, 1965 के अनुसार गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर कडाणा बांध बनाना प्रस्तावित था। 1 अक्टूबर, 1966 में राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच माही जल बंटवारा समझौते में कांगड़ा बांध का निर्माण नहीं हुआ था। समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में कडाणा बांध का पानी तब मिलेगा जब तक नर्मदा का पानी खेड़ा जिले में नहीं आएगा। वर्ष 2005 से नर्मदा का पानी गुजरात के खेड़ा जिले को मिल रहा है जबकि सतही समझौते के अनुसार कडाणा बांध और माही बांध के 2/3 राजस्थान के सिरोही, जालौर तय हो चुके थे लेकिन जालौर, सिरोही को पानी नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदया, कडाणा बांध का ओवरफ्लो होकर पानी सुजलाम्, सुफलाम् नहर के द्वारा समुद्र में जा रहा है। भास्कर कमेटी द्वारा सर्वे किया गया जिसमें बताया गया है कि 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होकर 1.30 लाख एमटीसी पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो रहा है।

सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि सुजलाम सुफलाम नहर को सुदृढ़ कर नर्मदा कैनाल से जोड़कर जालौर, सिरोही को पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाए और इसके लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इस हेतु गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। मैं जालौर, सिरोही की जनता और किसानों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ।